



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2224]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 8, 2017/श्रावण 17, 1939

No. 2224]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 8, 2017/SRAVANA 17, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2017

आय-कर

का.आ. 2529(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54डग के स्पष्टीकरण के खंड (खक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तीन वर्ष के पश्चात् उन्मोचनीय बंधपत्र और जिसे भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कंपनी द्वारा राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् जारी किया गया है, को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए 'दीर्घावधि विनिर्दिष्ट आस्ति' के रूप में अधिसूचित करती है।

[अधिसूचना सं. 79/2017/फा.सं. 370142/18/2017-टीपीएल]

प्रवीन रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)